1653/ 11-06-2021

दिनांक– 28.04.2021 एवं दिनांक– 09.06.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रपत्र–5 का लेखन एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य करने हेतु वैकल्पिक कागजातों से सहायता लेने के संबंध में जूम के माध्यम से हुई बैठक की कार्यवाही।

दिनांक– 28.04.2021 को हुए बैठक में श्री श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0, सेवा–निवृत, श्री विनय कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, उप सचिव, राजभवन, बिहार, पटना एवं श्री सुबोध कुमार सिंह, बि0प्र0से0, आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना भाग लिए।

दिनांक–09.06.2021 की बैठक में श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री चंद्रशेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू–अर्जन, श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री नवल किशोर, सयुक्त निदेशक, चकबन्दी, श्री अनिल कुमार सिंह, चकबन्दी अनुदेशक, चकबन्दी, एवं श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग ने बैठक में भाग लिए।

2. निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत विगत् सर्वेक्षण पश्चात् अधिसूचित अधिकार–अभिलेख/मानचित्र के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रथम चरण के 20 जिलों से यह सूचना दी जा रही है कि इन मामलों में प्रपत्र–5 किस प्रकार तैयार किया जाए, के संबंध मागदर्शन दिया जाए।

3. बैठक में उपस्थित सदस्यों से विमर्श पश्चात् यह स्पष्ट हुआ कि विगत् सर्वेक्षण के अधिसूचित अधिकार–अभिलेख की अनुपलब्धता की मौजावार निम्न स्थिति हो सकती है:–

(क) अधिकार–अभिलेख अनुपलब्ध, परंतु नक्शा उपलब्ध।
(ख) अधिकार–अभिलेख उपलब्ध, परंतु नक्शा अनुपलब्ध।
(ग) अधिकार–अभिलेख एवं नक्शा दोनों अनुपलब्ध।

4. दिनांक–28.04.2021 एवं 09.06.2021 को हुई बैठक पश्चात् निम्न महत्त्वपूर्ण सुझाव विगत् सर्वेक्षण के अधिकार–अभिलेखों एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्राप्त हुए:–

(i) सभी अनुपलब्ध अधिकार एवं मानचित्रों की ग्रामवार (चादरों की स्पष्ट संख्या के साथ) सूची जिला राजस्व कार्यालय एवं अंचलों से प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त कर ली जाय।

(ii) जिन मौजों के अधिकार–अभिलेख अंचलों एवं जिला अभिलेखागार में अनुपलब्ध है, उन मामलों में यह जाँच कर ली जाय कि अनुपलब्धता के क्या कारण है एवं आवश्यकतानुसार संबंधित थाना में स्टेशन डायरी इंट्री/प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। यदि पूर्व में विगत् सर्वेक्षण के खतियान खो जाने अथवा नष्ट होने की घटना हुई हो तो इसकी सूचना स्थानीय थाना की स्टेशन डायरी इंट्री ससमय की गई हो, इस आशय की छानबीन जिला कार्यालय, राजस्व शाखा की स्तर से कर ली जाय।

(iii) जिला अभिलेखागार एवं संबंधित अंचल कार्यालय में जिन मौजा का विगत सर्वेक्षण का खतियान अनुपलब्ध है, इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाना अपेक्षित होगा।

(iv) जिला नजारत/जिला का सामान्य शाखा/बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से जिन मौजों के नक्शा के सभी चादर या कुछ चादर अनुपलब्ध हो तो उनसे भी इस आशय का प्रमाण–पत्र कर लिया जाना अपेक्षित होगा।

(v) अंचल कार्यालय में भी नक्शा रहते है, उनसे भी नक्शा अनुपलब्ध रहने की स्थि[illegible] प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। संभव है कि इन सभी कार्यालयों [illegible] प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के दौरान वांछित नक्शा उपलब्ध हो सके।

(vi) यह भी संभव है कि अंचल अमीनों के पास भी अनुपलब्ध नक्शा की प्रति उपलब्ध हो जाए। अतः उनसे भी नक्शा अनुपलब्ध होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(vii) विगत वर्षों में भू–अर्जन के मामलों में खतियान की प्रति बनाई गई है, अतः इन अभिलेखों से भी खतियान की प्रति विधिवत् प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है, यदि उक्त मौजे का खतियान वर्त्तमान में अनुपलब्ध हो तो।

(viii) जिन राजस्व ग्रामों का खतियान/नक्शा अनुपलब्ध है वहाँ स्थानीय स्तर पर रैयतों/अन्य स्त्रोतों यथा सिंचाई विभाग के अधीन कार्यालय, वन विभाग के अधीन कार्यालय, पथ प्रमंडल विभाग आदि के पास पूर्व के खतियान का नकल एवं नक्शा उपलब्ध हो सकता है।

(ix) विगत खतियान/नक्शा उपलब्ध कराने के लिए लगातार तीन दिनों तक समाचार–पत्र एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अनुपलब्ध खतियान/नक्शा उक्त स्त्रोतों से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(x) इस संबंध में यह भी अपेक्षित होगा कि रैयतों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले खतियान की प्रति/नकल का सत्यापन संबंधित जिले के अभिलेखागार से करा लिया जाय।

(xi) साथ ही रैयतों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होनेवाले नक्शों का सत्यापन बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से कराया जाना अपेक्षित होगा।

(xii) सरकारी भूमि की जमाबंदी यदि विधिवत् दर्ज है तो ऐसे मामलों में खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जमाबंदी के आधार पर प्रपत्र–5 को तैयार किया जा सकता है, बशर्ते की उक्त जमाबंदी की सत्यापित सूची एवं विवाद रहित रहने का प्रमाण–पत्र अंचलाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(xiii) निम्न कागजातों के आधार पर भी प्रपत्र–5 तैयार किया जा सकता है वशर्ते उन कागजो की सत्यापित प्रति जिला के समाहर्त्ता के स्तर से निर्णय प्रश्चात् जिला अभिलेखागार/अचंल कार्यालय से बंदोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाए –

(क) प्रपत्र–5 में खेसरों की विवरणी के लिए पूर्व में हल्का स्तर पर तैयार की गई खेसरा पंजी के आधार पर तैयार की जा सकती है।

(ख) पूर्व में जमींदारों द्वारा सरकार को भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के आधार पर जमींदारी रिटर्न दाखिल किया गया था। यदि इन जमींदारी रिटर्न पर सभी विधिसम्मत् कार्रवाई संपन्न कर ली गई तो इनके आधार पर भी प्रपत्र–5 तैयार करने की कार्रवाई की जा सकती है, वशर्ते कि उक्त मौजा पुनरीक्षित सर्वे अधिसूचित न हो।

(ग) राज्य के पुराने अभिलेखागारों में पूर्व के समय के जमींदारों का एक "तौजी बस्ता" हुआ करता था। इन तौजी बस्ता में संधारित दस्तावेजों की सहायता से प्रपत्र–5 को तैयार किया जा सकता है।

(घ) विगत सर्वेक्षणों के पश्चात अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिला अभिलेखागारों में उक्त सर्वेक्षण के दौरान तैयार खेसरा पंजी एवं प्रारूप खतियान जो प्रकाशित हुए होंगे आपत्ति प्राप्ति हेतु, के आधार पर भी प्रपत्र–5 विशेषकर सरकारी भूमि के मामले में, तैयार करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–19(9)रा0, दिनांक– 03.01.2018 जो क्षतिग्रस्त जमाबन्दी पंजी को पुनगर्ठित करने के सम्बन्ध में है, को भी सन्दर्भित किया गया। उक्त पत्र में जिन 15 प्रकार के अभिलेखों/पंजीयों के आधार जमाबंदियों को पुर्नगठित करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है, उसका शतप्रतिशत अनुपालन अंचल स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही इन के आधार पर भी प्रपत्र–5 के निर्माण का निर्णय लिया जा सकता है।

(च) जिन मामलों में विगत अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध हो उन मौजों के रैयतों द्वारा प्रपत्र–2 में दी गई स्वघोषणा में दिए गए विवरण का रैयतवार स्थल सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही उपरोक्त (क) से (ङ) तक में वर्णित कागजातों के आधार पर सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। तत्पश्चात ऐसे मामलों में जो प्रपत्र–5 तैयार होंगे, उनका ग्राम–सभा में अनुमोदन अपेक्षित होगा तथा ऐसे मामलों में दखल–कब्जा का कोई स्पष्ट मामला ना हो, इस संबंध में अवगत होने के पश्चात् इनके आधार पर भी प्रपत्र–5 अंतिम रूप से तैयार किया जा सकता है एवं ऐसे सत्यापित ऑकड़ों का अनुमोदन ग्राम–सभा के माध्यम से किया जाए।

(xiv) चकबन्दी अभियान के तहत कई मौजों का सी0एस0/आर0एस0 खतियान एवं नक्शा चकबन्दी कार्यालयों द्वारा प्राप्त किया गया है और यह संभव है कि अनुपलब्ध खतियान एवं नक्शा इन कार्यालयों द्वारा वापस न किया गया हो। अतः ऐसे मामलों में जाँच कर अनुपलब्ध खतियान एवं नक्शा उपलब्ध कराया जा सकता है।

साथ ही चकबन्दी अभियान के तहत पूर्व खतियान के आधार पर प्रपत्र–17 का भाग–1 तैयार किया गया था, जिन मौजों का खतियान अनुपलब्ध है, उन मौजों का प्रपत्र–5 तैयार करने में प्रपत्र–17 के भाग–1 की मदद ली जा सकती है।

(xv) सिविल न्यायालय द्वारा कतिपय मामलों मे मौजों का खतियान प्रदर्श हेतु मांग की जाती है और यह संभव है कि न्यायालय का मौजों का खतियान वापस न हुआ हो। ऐसे मामलों में अंचल कार्यालय, जिला विधि शाखा एवं जिला अभिलेखागार, सरकारी अधिवक्ता तथा लोक अभियोजक से संपर्क कर अनुपलब्ध खतियानों को न्यायालयों से विधिवत् प्राप्त कर सकते है।

5. बैठक के दौरान कुछ अन्य सुझाव भी प्राप्त हुए, जो विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सहायक होंगे:–

(i) जिन मौजों खतियान अनुपलब्ध हो, वहां यदि नक्शा उपलब्ध है तो उन नक्शों में सा[illegible] सरकारी भूमि के चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित होते है, उसके आधार पर भी सरकारी भूमि[illegible] मामले उन्हें पहचाने अथवा चिन्हित करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(ii) जिन मौजों के खतियान अनुपलब्ध हो उक्त राजस्व ग्राम का अगर सी0एस0/आर0एस0 नक्शा उपलब्ध है तो बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से उक्त राजस्व ग्राम का सी0एस0/आर0एस0 नक्शा के आधार पर खेसरावार रकवा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग प्रपत्र–5 के निर्माण में हो सकता है।

(iii) अंचलों में भी सरकारी भूमि/सैरातों/भू–हदबंदी से अर्जित भूमि की पंजी होती है। अंचल कार्यालय द्वारा भी इन पंजियों से सत्यापित सूची की मांग कर प्रपत्र–5 तैयार करने में मदद ली जा सकती है।

(iv) विभिन्न मौजों के खतियान अनुपलब्ध है परंतु विगत कई वर्षों से राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूमि एवं सैरातों की पंजी हल्का कचहरी में संधारित रखा जाता है। उस स्तर से भी अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त की जा सकती है। इन मामलों में हल्का कर्मचारियों के स्तर से अगर सरकारी भूमि की पंजी उनके हल्का कचहरी में नहीं है तो इस आशय का प्रमाण–पत्र विधिवत् प्राप्त कर लिया जाय।

(v) कुछ जिलों यथा– दरभंगा प्रमंडल के जिले एवं अन्य जिलों में विगत सर्वेक्षण (आर0एस0) के खतियान एवं नक्शा अधिसूचित किए जाने के बावजूद अभी भी जमाबंदी सी0एस0 खतियान के आधार पर है। ऐसे जिलों में यह आवश्यक होगा कि वहां विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व जमाबंदी को नये अधिकार–अभिलेख के आधार पर अद्यतन/संशोधन कर लिया जाय।

(vi) सरकारी भूमि जो अर्जन, दान, बिक्री, हस्तांतरण से विभिन्न विभागों को प्राप्त हुआ है और उनकी जमाबंदी दर्ज नहीं है। ऐसे मामलों में अविलंब उक्त विभागों के स्तर से सक्रियता के साथ अंचल कार्यालय से जमाबंदी कायम कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019...1653....... पटना, दिनांक :–11-06-2021

प्रतिलिपिः– श्री श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0, (सेवा–निवृत)/श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री चंद्रशेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू–अर्जन/श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकबन्दी निदेशालय/श्री अनिल कुमार सिंह, चकबन्दी अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय /श्री विनय कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, उप सचिव, राजभवन/श्री सुबोध कुमार सिंह, बि0प्र0से0, आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग/श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101 / 2019.....1653..... पटना, दिनांक :–11-06-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101 / 2019.....1653..... पटना, दिनांक :–11-06-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप